राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–202/2016/बीकानेर

मैसर्स प्रकाश टिम्बर स्टोर,
बीकानेर ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–चतुर्थ, वृत्त–ए, बीकानेर। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शफी मौहम्मद चौहान,
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरना
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 08/02/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 246/आरवैट/बीकानेर/2014–15 के आदेश दिनांक 09.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा उक्त अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–ए, बीकानेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23, 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.02.2014 के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क रू. 50,000/–की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2011–12 हेतु व्यवहारी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2014 में राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19ए के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/– का आरोपण किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 09.10.2015 द्वारा अस्वीकार करते हुए आरोपित लेट फीस की पुष्टि की गई। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के सम्मुख पेश की गई है।

निरन्तर.....................2

3. अपीलार्थी की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा 2011–12 के चारों तिमाही रिटर्न समय पर प्रस्तुत कर दिये थे किन्तु कम्प्यूटर में तकनीकी समस्या के कारण वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया, जो कि विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि वर्ष 2011–12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र पेश करने की अन्तिम दिनांक 27.05.2013 थी तथा लेट फीस के संबंध में नियम 19ए के प्रावधान दिनांक 06.03.2013 को संशोधित कर दिये गये थे।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक यह भी कथन किया कि नियम 19ए के संशोधित प्रावधान जो आलौच्य अवधि 2011–12 के लिये प्रवृत थे, के अनुसार मासिक करदाता के विरूद्ध 100 रूपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25000/– रूपये तक का विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है। जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 50,000/–का विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गयी है, जो विधि विरूद्ध है। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये, जो निम्न प्रकार है :–

1. राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अपील संख्या 1238/2015/बीकानेर मैसर्स अनिल ट्रेडिंग कम्पनी, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, खण्ड–द्वितीय, बीकानेर आदेश दिनांक 18.05.2017
2. राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अपील संख्या 1240/2015/बीकानेर मैसर्स श्रीबाबा रामदेव फाइबर कूलर प्रोडक्ट, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत बी, खण्ड–द्वितीय, बीकानेर आदेश दिनांक 20.05.2017

5. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का अरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

निरन्तर......................3

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011–12 का वार्षिक रिटर्न वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः नियम 19ए के अंतर्गत उसका विलम्ब शुल्क भुगतान का दायित्व बनता है, जिसकी गणना व्यवहारी की कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर गणना योग्य होता है। वर्ष 2011–12 के लिये प्रवर्तनीय नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क 100 / – रूपये प्रतिदिन जो अधिकतम रूपये 25,000 / – तक हो सकेगा तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस 50 / – रूपये प्रतिदिन जो अधिकतम रूपये 5,000 / – हो सकेगा।

7. अपीलार्थी व्यहवारी मासिक करदाता है अतः नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वर्ष 2011–12 की वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क का आरोपण किया जाना विधि सम्मत है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या F.12(11)FD/Tax/2013-104 दिनांक 06.03.2013 को नियम 19ए में 01.04.2013 से प्रभावी संशोधन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

> "19A Late Fee- Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of -
> (i) Rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees twenty five thousand, in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act;
> (ii) Rupees fifty per day subject to a maximum of rupees one thousand, in case there is no turnover of the dealer during the period under return; and
> (iii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011–12 हेतु वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27.05.2013 थी तथा दिनांक 06.03.2013 को नियम 19ए में 01.04.2013 से प्रभावी संशोधन किया जा चुका था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मायारानी पुंज के प्रकरण में दिये गये निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330, के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने का Continuing default उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान उक्त Continuing default समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे ही लागू होंगे। अतः इस आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में भी विलम्ब शुल्क जमा कराने के दायित्व का तदनुसार गणना / आरोपण किये जाने योग्य है।

निरन्तर.......................4

8. प्रस्तुत प्रकरण में वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत ही नहीं किया गया था अतः कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण संपूरित करते समय विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/– निर्धारित किया है। चूंकि अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 50,000/– दिनांक 31.03.2013 तक ही प्रभावी था एवं नियम 19ए में दिनांक 06.03.2013 को किये गये संशोधन के पश्चात कर निर्धारण तिथि अर्थात दिनांक 27.02.2014 को यथा संशोधित प्रावधान ही लागू होंगे अर्थात मासिक करदाता के मामले में अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 25,000/– ही आरोपित किया जा सकता है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने रूपये 50,000/– का विलम्ब शुल्क निर्धारित कर तथा अपीलीय प्राधिकारी ने इसकी पुष्टि कर विधिक त्रुटि कारित की है।

9. उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता है जिसके द्वारा वर्ष 2011–12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र वैट 10ए प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27.05.2013 थी, जो कर निर्धारण आदेश की दिनांक 27.02.2014 तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके लिये नियम 19ए के तत्समय प्रवृत प्रावधानों के अनुसार 25,000/– रूपये विलम्ब शुल्क ही देय होता है। अतः इस सीमा तक अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य